रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1972/फाल्गुन 14, 1893
No 69] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1972/PHALGUNA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March 1972

G.S.R. 94(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Commissions of Inquiry (Amendment) Act, 1971 (79 of 1971), the Central Government hereby appoints the 6th day of March, 1972, as the date on which the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), as amended by the said Amendment Act, shall come into force in the State of Jammu and Kashmir.

[No. F. 3/2/72-Judl.]

P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1972

[सं०] सा० का० नि० 94(अ).—जांच आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 79) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 6 मार्च, 1972 की तिथि को उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) को जम्मू व कश्मीर राज्य में लागू होने की तिथि निर्धारित करती है ।

[सं० एफ० 3/2/72—जुडिशियल]

प्रेम प्रसाद नय्यर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972